65

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 123—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 2—04—2016 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 137/अपील/2011—12 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.16 प्रकरण कमांक 21/निगरानी/2015—16 **(अपर आयुक्त ग्वालियर को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया है इसलिये समय सीमा में मान्य करते हुये मुख्य प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर से संबंधित आदेश के विरूद्ध आदेश पारित किया जाना है।)**

.....

1—निरपत सिंह पुत्र खेमा
2—इमरत सिंह पुत्र रामा
3—बेनाबाई पत्नी रामलाल
4—रणजीत सिंह पुत्र भगवतसिंह
5—बाबूलाल पुत्र पर्वता
6—करण सिंह पुत्र धीरत सिंह
सभी निवासी कजराई तहसील
व जिला अशोकनगर म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—सनमान सिंह पुत्र अलमा अहिरवार
निवासी कजराई तहसील व
जिला अशोकनगर म0प्र0
2—म0 प्र0 शासन

——— अनावेदकगण

.....

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क—1
श्री आर0 पी0 पालीवाल,पैनल अभिभाषक अना0 क—2

.....

आदेश

(आज दिनांक 12-01-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–04–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसील अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 49/अ–19/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2002 द्वारा अपाल लोगों को भूमि का आबंटन किया गया है, जिससे आवेदक के हित प्रभाव हो रहे हैं। के विरूद्व आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 137/अपील/2011–12 पर दर्ज होकर जिसमें आदेश दिनांक 2.4.2016 पारित किया जाकर अपात्र व्यक्तियों का आबंटन निरस्त किया गया। इससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार तहसील अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 49/अ–19/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2002 द्वारा आवेदक कमांक 1 निरपत को ग्राम कजराई की भूमि सर्वे कमांक 167/2 रकवा 0.500 है0 भूमि, आवेदक कमांक 2 इमरत सिंह को भूमि सर्वे कमांक 70/2क रकवा 0.500 है0 भूमि, आवेदक कमांक 3 को भूमि सर्वे कमांक 69/3 रकवा 0.500 है0, आवेदक कमांक–4 को भूमि सर्वे कमांक 70/2घ रकवा 0.500 है0 आवेदक कमांक –5 को भूमि सर्वे कमांक 70/25 रकवा 0.550 है0 भूमि तथ आवेदक कमांक –6 को भूमि सर्वे कमांक 70/2च रकवा 0.354 है0 भूमि का आवंटन किया गया था। इस प्रकार उक्त प्रकरण में 18 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गयां है कि अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगरं का आदेश दिनांक 2.4.16 नियम कानून एवं प्रकिया के विरूद्व होकर अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण के इस वैधानिक तर्क पर न्यायिक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया अनावेदक कमांक 1 के द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया हैं आवेदकगण के पास पूर्व से कोई भूमि थी। जबकि आवेदकगण को जिस दिनांक को पटटा दिया गया था उस दिनांक को आवेदकगण के पास कोई भूमि नहीं थी। वह भूमिहीन होकर हरिजन व आदिवासी थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर

के द्वारा जो बंटन किया गया है उसमें कोई अवैधानिकता नहीं दर्शाई गई है और भूमिहीन व्यक्तियों को ही तहसीलदार अशोकनगर के द्वारा भूमि का बंटन विधिवत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य न होते हुये भी आवेदकगण के पटटे् निस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा आवेदकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही केवल मात्र अनुमानों के आधार पर आदेश पारित किया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी को संबंधित पटवारी से इस आशय की रिपोर्ट मंगवाना चाहिये थी कि बंटन दिनांक को आवेदकगण भूमिहीन परिभाषा में आते थे या नहीं। क्यों कि आवेदकगण को 2 ढाई बीघा से अधिक भूमि नहीं दी गई थी। इस कारण शासन के द्वारा भूमि हीन की जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर उक्त बंटन होने के पश्चात भी आवेदकगण के पास अधिक भूमि नहीं होती है, और वह भूमिहीन की परिभाषा में आते हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर विचार किये बिना ही आवेदकगण के पटटे् निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने विधिवत सभी प्रकिया का पालन करते हुये आवेदकगण को भूमिहीन होने के कारण भूमि बंटन की है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना कोई आधार के आवेदकगण के बंटन को निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का आदेश निरस्त कर तहसीलदार द्वारा आंबटित भूमि आवेदकगण को बहाल करने का अनुरोध किया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण कमांक 49/अ–19/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2002 द्वारा आवेदक कमांक 1 निरपत को ग्राम कजराई की भूमि सर्वे कमांक 167/2 रकवा 0.500 है0 भूमि, आवेदक कमांक 2 इमरत सिंह को भूमि सर्वे कमांक 70/2क रकवा 0.500 है0 भूमि, आवेदक कमांक 3 को भूमि सर्वे कमांक 69/3 रकवा 0.500 है0, आवेदक कमांक–4 को भूमि सव्रे कमांक 70/2घ रकवा 0.500 है0 आवेदक क0 5 को भूमि सर्वे कमांक 70/25 रकवा 0.550 है0 भूमि तथ आवेदक कमांक –6 को भूमि सर्वे

कमांक 70/2च रकवा 0.354 है0 भूमि का आवंटन किया गया था। इस प्रकार उक्त प्रकरण में 18 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया था, वह विचारण न्यायालय द्वारा बिना जांच पडताल के आबंटन किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज सूची में आवेदक कमांक–4 की जन्म तिथि दिनांक 11.03.87 है तथा उसे वर्ष 2002 में भूमि आबंटित की गई उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का आदेश स्थिर रखा जावे तथा आवेदकगण प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5– शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का आदेश स्थिर रखा जावे उनका आदेश विधि प्रावधानों से उचित है। विचारण न्यायालय द्वारा भूमिबंटन की प्रकिया विधि विरूद्व की गई है जो अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अभियान के अन्तर्गत दलित भूमिहीन हरिजन/आदिवासियों को भूमि का आवंटन किया जाना था। विचारण न्यायालय के प्रकरण कमांक 49/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 20.06.02 द्वारा ग्राम कजराई के भूमिहीन हरिजन/आदिवासियों को बंटन किया जाना प्रस्तावित था तहसीलदार तहसील अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 49/अ–19/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2002 द्वारा आवेदक कमांक 1 निरपत को ग्राम कजराई की भूमि सर्वे कमांक 167/2 रकवा 0.500 है0 भूमि प्रदाय की गई है, पटवारी रिपोर्ट में भूमिहीन है। आवेदक कमांक 2 इमरत सिंह को भूमि सर्वे कमांक 70/2क रकवा 0.500 है0 भूमि प्रदाय की गई है पटवारी रिपोर्ट में स्वयं की 0.700 है0 है, उसके बाद भी वह भूमि पाने का पात्र की रिपोर्ट पटवारी द्वारा दी गई है। आवेदक कमांक 3 बैनाबाई को भूमि सर्वे कमांक 69/3 रकवा 0.500 है0, प्रदाय की गई है पटवारी रिपोर्ट में इनके पास कोई भूमि नहीं है। आवेदक कमांक–4 रणजीत सिंह के पास स्वयं की भूमि 0.711 पिता के हिस्से से प्राप्त की रिपोर्ट पटवारी द्वारा दी गई है। आबंटन में भूमि सर्वे कमांक 70/2घ रकवा 0.500 है0 प्रदाय की गई है। आवेदक कमांक –5 बाबूलाल

को पिता के हिस्से से 0.467 है0 भूमि मिली हुई है तथा आबंटन में भूमि सर्वे कमांक 70/25 रकवा 0.550 है0 भूमि प्रदाय की गई है, तथा आवेदक कमांक –6 करण सिंह को पिता के हिस्से से 0.218 है0 भूमि प्राप्त हुई है तथा आबंटन में सर्वे कमांक 70/2च रकवा 0.354 है0 भूमि प्रदाय की गई है, इस प्रकार आवेदकगणों को आवंटन किया गया था। तहसीलदार तहसील अशोकनगर द्वारा 18 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया था। आवेदकगण को अपने पैतृक से भूमि मिलने के पश्चात भी वह भूमि प्राप्त करने की पात्रता रखते है इस बावत पटवारी रिपोर्ट में पात्र पाये गये हैं, उसके पश्चात भी अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है इसलिये आदेश दिनांक 2.4.16 नियम कानून एवं प्रकिया के विरूद्व होकर अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण के इस वैधानिक तर्क पर न्यायिक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया अनावेदक कमांक 1 के द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है आवेदकगण के पास पूर्व से कोई भूमि थी। जबकि आवेदकगण को जिस दिनांक को पटट्ा दिया गया था उस दिनांक को आवेदकगण के पास कोई भूमि नहीं थी। वह भूमिहीन होकर हरिजन व आदिवासी थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर के द्वारा जो बंटन किया गया है उसमें कोई अवैधानिकता नहीं दर्शाई गई है और भूमिहीन व्यक्तियों को ही तहसीलदार अशोकनगर के द्वारा भूमि का बंटन विधिवत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य न होते हुये भी आवेदकगण के पटटे निस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी देखा गया है कि आवेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही केवल मात्र अनुमानों के आधार पर आदेश पारित किया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी को संबंधित पटवारी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें इस आशय की रिपोर्ट पुनः मंगवाना चाहिये थी कि बंटन दिनांक को आवेदकगण भूमिहीन परिभाषा में आते थे या नहीं, क्यों कि आवेदकगण को 2 ढाई बीघा से अधिक भूमि नहीं दी गई थी। इस कारण शासन के द्वारा भूमि हीन की जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर उक्त बंटन होने के पश्चात भी आवेदकगण के पास अधिक भूमि नहीं होती है, और वह भूमिहीन की परिभाषा में आते हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय

ने इस कानूनी बिन्दु पर विचार किये बिना ही आवेदकगण के पटटे निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 137/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 2.4.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदकगणों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदाय करते हुये तथा पटवारी से रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदकगणों को प्रदाय बंटन की भूमि की पात्रता है अथवा नहीं इस संबंध में पुनः आदेश पारित करें। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर